अपील सूचना अधिकार संख्या 43/2021 (RCMS 2021/66) (RTI-212611740225346) श्री सूरज कुमार पुत्र श्री मारूराम निवासी लूदेसर जिला सिरसा (हरियाणा) (मोबाईल नं. 98130—17001) बनाम तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.08.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सूरज कुमार उपस्थित नहीं है। है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.02.2021 से तहसीलदार, सूरतगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधनों के उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की थी जो उन्होंने अपने पत्रांक सूकाअ/2021/770 दिनांक 12.04.2021 से इस कार्यालय को प्रेषित की है जिसमें अपीलार्थी ने तहसीलदार, सूरतगढ के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने एवं उसे सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें **पत्रावली का अवलोकन** किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.02.2021 के द्वारा तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ से निम्न सूचना चाही थी:

क	ख	ग	घ	ड
क.सं.	तरमीम की गयी भूमि के मालिक का नाम	तरमीम की गयी भूमि की खसरा [illegible] स.	तरमीम की गयी भूमि का [illegible]	तरमीम किस तारीख को की गई। तारीख बतायें?

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:46 IST
Reason: SelfAttested

च	छ	ज	झ
तरमीम करने वाले कर्मचारी व अधिकारी का नाम व पदनाम	तरमीम की गयी भूमि के बारे में (खसरा नं0–138/8) के सभी खातेदारों की सहमति ली गयी या नही?	क्या खसरा नं0–138/8 के सभी हिस्सेदारों के तरमीम कार्यवाही पर हस्ताक्षर करवाये गये है या नही?	भूमि का तरमीम कार्य किस आधार पर किया गया है? जैसेः–बाड़, तारबंदी, स्थायी निर्माण टयूबवेल आदि।

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ ने अपने पत्रांक क्रमांक रीडर/2021/503 दिनांक 04.05.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलकर्ता श्री सूरजकुमार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1)के अन्तर्गत ग्राम कानौर तहसील सूरतगढ के खसरा नम्बर 138/8 की तरमीम की गयी भूमि की सूचना स्वयं द्वारा बनाये गये परफोरमा में मांगी जिसके प्रतिउतर में कार्यालय हाजा द्वारा दिनांक 09.03.2021 को सूचना भेजी गयी थी लेकिन प्रार्थी द्वारा तैयार प्रारूप में सूचना संकलित कर चाही गयी थी जो कि सूचना के अधिकार के अन्तर्गत देय नही है। सूचना जिस रूप में संधारित है उसी रूप में देने का प्रावधान है। खोज कर खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का [illegible] है।
>
> -सं-
>
> तहसीलदार (राजस्व),
>
> सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ ने अपने पत्रांक रीडर/439 दिनांक 09.03.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

> विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना के सम्बन्ध में लेख है कि आवेदित प्रारूप संख्या कॉलम नं. "क से झ" के अनुसार कार्यालय में सूचना संधारित नहीं है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यालय में उपलब्ध संधारित सूचना की छाया प्रति प्रमाणित करने का प्रावधान है, सूचनाएं खोजकर एवं तैयार कर देने का प्रावधान नहीं है।
>
> अतः आप कार्यालय समय मे रिकॉर्ड का अवलोकन कर उपलब्ध सूचना को आवेदन पत्र में दर्ज कर नकल प्राप्त कर सकते है।
>
> सूचित रहे।
>
> तहसीलदार (राजस्व)
> सूरतगढ

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का उत्तर तहसीलदार, सूरतगढ दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं [illegible] को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के [illegible] में प्रार्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही [illegible] का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए तहसीलदार, सूरतगढ ने अपीलार्थी को दिनांक 09.03.2021 को जो उत्तर दिया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति **तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:46 IST
Reason: SelfAttested